

मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम की स्वीकार्यता तथा मुरादाबाद जिले के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों के नामांकन पर इसके प्रभाव का अध्ययन

श्रीमती भूपेन्द्र कौर

सहायक प्राध्यापिका एवं शोधकर्ता

शिक्षा विभाग

आईएफटीएम विश्वविद्यालय, मुरादाबाद

प्रो० (डॉ) राजकुमारी सिंह

डीन

शिक्षा विभाग

आईएफटीएम विश्वविद्यालय, मुरादाबाद

सारांशः

शिक्षा निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है। भारत का इतिहास बताता है कि प्राचीन समय में भारत केवल युद्ध भूमि ही नहीं वरन् भारत शिक्षा के क्षेत्र में सम्पूर्ण विश्व का गुरु था वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता आदि ग्रन्थ इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक समय तक शिक्षा निरन्तर प्रगति की ओर बढ़ती गयी है। एन०जी०ओ० द्वारा यह कार्य सम्भालने से विद्यालय को राहत मिली है। अब अध्यापकों को अपना अमूल्य समय पढ़ाने के लिए देने से कोई समस्या नहीं है। विद्यालय के द्वारा स्वयं भोजन निर्माण प्रक्रिया से बेहतर कार्य एन०जी०ओ० द्वारा किया जा रहा है। विद्यालय में भोजन बनने से बालकों की पढ़ाई में बाधा आती है क्योंकि बालकों का ध्यान भोजन पर ही रहता है। कुछ विद्यालयों में पेयजल की सही व्यवस्था न होना अभी भी एक समस्या है। प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को भोजन खिलाने वाले बर्तनों का अभाव है जिसके कारण बालक अपने स्कूली बस्तों में अपने घरों से प्लेट, कटोरी एवं ग्लास लेकर आते हैं। कुछ विद्यालयों में शिक्षक जातिगत भेदभाव की विचारधारा से ग्रसित हैं। भोजन वितरण में कुछ विद्यालयों के अन्दर बालकों से काम लिया जाता है जो कि गलत है। मध्यावकाश का निश्चित समय इस कार्यक्रम के लिए सही तरह से उपयोग नहीं होता है। कुछ छात्र/छात्रायें केवल भोजन में रुचि रखते हैं और भोजन करते ही विद्यालय से घर भाग जाते हैं।

प्रस्तावना:-

शिक्षा आदि काल से चली आने वाली एक निरन्तर प्रक्रिया है जो अन्धकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाती है। शिक्षा सभ्यता और संस्कृति की जननी है। संसार में जन्म लेने के बाद व्यक्ति परिवार, विद्यालय, प्रकृति, पशु—पक्षी तथा अन्य साधनों से शिक्षा ग्रहण करता है। शिक्षा ही बालक का चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, नागरिकता के गुणों का विकास एवं शारीरिक तथा मानसिक विकास करती है। कुल मिलाकर शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वार्गीण विकास करती है। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति पशु से समान है। प्राथमिक शिक्षा के लिए मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम से परिचय, मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य, उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या तथा साक्षरता दर, मध्यान्ह भोजन योजना की संरचना, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों में पका—पकाया भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था, शहरी क्षेत्रों में विद्यालयों में पका—पकाया भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था, योजना का क्रियान्वयन, खाद्यान्न की आपूर्ति एवं गुणवत्ता, रसोईया/ भोजन माता की व्यवस्था, जनपद मुरादाबाद की एक सामान्य नजर।

“शिक्षा व्यक्ति के अन्दर सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है।”— स्वामी विवेकानन्द

“शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो बालक तथा मनुष्य के मन तथा आत्मा के रूपों का उत्कृष्ट एवं सर्वार्गीण विकास करे।”— महात्मा गांधी

शिक्षा निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है। भारत का इतिहास बताता है कि प्राचीन समय में भारत केवल युद्ध भूमि ही नहीं वरन् भारत शिक्षा के क्षेत्र में सम्पूर्ण विश्व का गुरु था वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता आदि ग्रन्थ इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक समय तक शिक्षा निरन्तर प्रगति की ओर बढ़ती गयी है।

प्राचीन भारत में सम्भवतः 400 ई०प० से पहले कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। उस समय तक बालक का परिवार ही उसकी शिक्षा का केन्द्र था। उसके पश्चात् कुछ ब्राह्मणों ने व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने का कार्य किया जिससे गुरुकुल प्रणाली का जन्म हुआ जहाँ विद्यालय संस्कार उपनयन संस्कार आदि के बाद बालक गुरुकुल का सदस्य बन जाता था।

गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था अनेक शताब्दियों तक अल्प परिवर्तन के साथ चलती रही लेकिन लगभग 500 ई० से भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली में दोष उत्पन्न हो गये समय के साथ-साथ इन दोषों में वृद्धि होती चली गयी। जिसके परिणाम स्वरूप यह प्रणाली जन-जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ हो गयी है।

इस तरह धीरे-धीरे शिक्षा का विकास हुआ प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक तत्कालीन सरकार ने शिक्षा के लिए बहुत से कार्यक्रमों का संचालन किया जिससे शिक्षा के हर स्तर को प्रभावशाली बनाया जा सके किन्तु इन सभी स्तरों में प्राथमिक शिक्षा को सम्पूर्ण शिक्षा की रीढ़ माना जाता है। इसको मजबूत बनाने के लिए सरकार ने अनेक प्रयासों के परिणामस्वरूप हमारे देश ने प्राथमिक शिक्षा में संस्थानों की स्थापना, शिक्षकों की नियुक्ति और छात्रों के नामांकन की दृष्टि से काफी प्रगति की है। देश के स्कूलों में चार गुणा वृद्धि हुई है।

भारत में बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान स्थिति उत्साहजनक है शिक्षा के लिए समुदाय की काफी माँग है। विशेष रूप से महिलाओं एवं लड़कियों की साक्षरता तथा स्कूल उपस्थिति की दर में वृद्धि से इस स्थिति का आभास होता है। वर्ष 1998-99 के राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण से पता चलता है कि 6-14 आयु वर्ग के लगभग 79 प्रतिशत लड़के तथा लड़कियों स्कूल जा रहे हैं। जबकि वर्ष 1992-93 में लगभग 68 प्रतिशत लड़के स्कूल जाते थे। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा तथा स्कूल उपस्थिति के क्षेत्र में स्त्री-पुरुष के अन्तर का अधिक होना, चिन्ताजनक विषय है। वर्ष 2010 तक भी बच्चों को 8 वर्ष की शिक्षा प्रदान करने के लिए हम प्रयास करेंगे। इस लक्ष्य को सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

प्राथमिक शिक्षा के लिए मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम से परिचय, मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य, उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या तथा साक्षरता दर, मध्यान्ह भोजन योजना की संरचना, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों में पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था, शहरी क्षेत्रों में विद्यालयों में पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था, योजना का क्रियान्वयन, खाद्यान्न की आपूर्ति एवं गुणवत्ता, रसोईया/ भोजन माता की व्यवस्था, जनपद मुरादाबाद की एक सामान्य नजर।

शोधकर्ता ने उपलब्ध साधनों, समय सीमा और शोध की गहनता को ध्यान में रखते हुए एवं कार्य को अधिक प्रभावी बनाने हेतु शोध अध्ययन को मुरादाबाद जिले के समस्त ब्लॉकों में से केवल मात्र वनियाखेड़ा ब्लॉक का ही चयनित करेगा, वनियाखेड़ा ब्लॉक के भी केवल मात्र 20 प्राथमिक विद्यालयों को ही अपने शोधकार्य हेतु चयनित कर सीमित किया है।

मुरादाबाद जिले के वनियाखेड़ा ब्लॉक में भोजन व्यवस्था—

मुरादाबाद जिले के वनियाखेड़ा ब्लॉक पर अनुसन्धान कर्ता ने अपना अध्ययन किया और पाया कि वनियाखेड़ा ब्लॉक से सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की भोजन व्यवस्था एन०जी०ओ० द्वारा सम्भाली जा रही है। यहाँ पर भारत के अधिकतर जिलों की तरह भोजन व्यवस्था विद्यालय स्तर की समिति द्वारा नहीं सम्भाली जाती है।

मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता एवं विविधता—

मध्यान्ह भोजन की विविधता—

एक ही प्रकार का भोजन नित्य करने से बालकों की भोजन के प्रति रुचि कम हो जाती है। तथा छात्रों को सभी पौष्टिक तत्व प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इस समस्या के समाधान हेतु सप्ताह के प्रत्येक कार्यदिवस हेतु भिन्न-भिन्न प्रकार का भोजन दिए जाने की व्यवस्था की गयी है। मेन्यू पूरे प्रदेश में लागू किया गया है जिसके निम्न लाभ हैं—

1. भोजन में सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो तथा वह बालकों की अभिरुचि अनुसार हो।
2. मेन्यू से आगामी दिनों में प्रयुक्त होने वाली खाद्य सामग्री आदि की निर्धारित मात्रा अनुसार ससमय व्यवस्था की जा सकें।
3. मेन्यू निर्धारित होने से पारदर्शिता आती है जिससे समुदाय इसके अनुपालन की स्थिति को ज्ञात कर सकता है।

मेन्यू की विशेषताएं—

1. मेन्यू के प्रयोग से भोजन में विविधता एवं पौष्टिक तत्वों में वृद्धि होगी।

2. मेन्यू में सोयाबीन का प्रयोग विशेषकर लागू किया गया है जो पूर्व व्यवस्था से भिन्न है। सोयाबीन प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। 100 ग्राम सोयाबीन में 45 प्रतिशत प्रोटीन की मात्रा उपलब्ध रहती है। सोयाबीन सुगमता से उपलब्ध होता है, भोजन में आसानी से प्रयुक्त होते हुए स्वाद में रुचिकर होता है।
3. यह प्रयास किया जाना चाहिए कि व्यंजन में न्यूनतम 10 ग्राम सोयाबीन का प्रयोग किया जाएं उदाहरणार्थ सोयाबीन पीस कर आटे में मिलाकर उसकी रोटी बनायी जा सकती है तथा बड़ी के रूप में सब्जी/दाल में प्रयोग किया जा सकता है।
4. मेन्यू में दाल की मात्रा कम से कम 25 ग्राम प्रति छात्र प्रति दिन होनी चाहिए।
5. सब्जियों की मात्रा भी बढ़ाकर 50–60 ग्राम प्रतिदिन निर्धारित की गयी है।
6. दूध का प्रयोग 100 मिली० प्रति छात्र प्रतिदिन किया गया है। दूध का प्रयोग करने से पूर्व उसकी गुणवत्ता एवं ताजगी अवश्य सुनिश्चित कर ली जाये।
7. जिस विद्यालय में 200 से अधिक बच्चे हों वहाँ पर मून्यू में और अधिक पौष्टिकता एवं गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है।

सुप्रभात एजुकेशनल एवं सोशल वेलफेयर सोसाइटी-

मुरादाबाद जिले के वनियाखेड़ा ब्लॉक में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए भोजन बनाने तथा वितरण का कार्य सुप्रभात एजुकेशनल एवं सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सम्भाला जा रहा है।

एन० जी० ओ० द्वारा दिए जाने वाले भोजन का मीनू-

दिन	व्यंजन का नाम
सोमवार	नमकीन दलिया
मंगलवार	हलवा
बुधवार	दाल चावल
बृहस्पतिवार	मीठा दलिया
शुक्रवार	खीर
शनिवार	खिचड़ी

मध्यान्ह भोजन योजना आहार तालिका –

मेन्यू दिनांक 01–08–2006 से लागू किया जा रहा है जिसकी सूचना समस्त छात्रों एवं अभिभावकों, अध्यापकों तथा समस्त समुदाय को दिया जाना आवश्यक है। मेन्यू को विद्यालय में किसी उपयुक्त दीवार पर पेन्ट करा दिया जाय ताकि सभी सम्बन्धित लोगों का प्रत्येक बालक को प्रतिदिन मिलने वाले आहार की जानकारी हो जाय। इस हेतु निम्न सूचना वाले पेन्टिंग के माध्यम से सभी विद्यालयों में प्रदर्शित की जाएगी।

प्रत्येक विद्यालय में भर्ती प्रत्येक छात्र/छात्रा को मध्यान्ह भोजन प्राप्त करने का अधिकार है। भोजन 100 ग्राम गेंहूँ या 100 ग्राम चावल से बना हुआ होना चाहिए तथा इसमें कम से कम 450 कैलोरी ऊर्जा एवं 12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

नोट— माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित पका—पकाया भोजन में 300 कैलोरी ऊर्जा तथा 8–12 ग्राम प्रोटीन होन अनिवार्य है।

मिड-डे-मील योजना साप्ताहिक आहार तालिका

क्र० सं०	दिन	व्यंजन	व्यंजन का प्रकार
1.	सोमवार	रोटी—दाल अथवा सूजी का हलवा	100 ग्राम गेंहूँ की रोटी एवं दाल (दाल में स्थानीय) सब्जियों का स्वाद के अनुसार मिश्रण करें। आवश्कतानुसार सूजी एवं मेवा का मिश्रण करें।
2.	मंगलवार	चावल—दाल अथवा चावल— सांभर	100 ग्राम चावल एवं मिश्रित दाल अरहर की दाल सांभर मसाला एवं स्थानीय सब्जी।

3.	बुधवार	जीरा चावल या कढ़ी चावल अथवा चावल की खीर	100 ग्राम चावल की जीरा एवं सोयाबीन मिश्रित पुलाव या बेसन मट्ठा दही मिश्रित कढ़ी अथवा मानकानुसार दूध, चीनी, मेवा का मिश्रण करें।
4.	बृहस्पतिवार	सब्जी रोटी अथवा सूजी का नमकीन हलवा (उपमा)	100 ग्राम गेंहूँ की रोटी एवं सोयाबीन अथवा चना आलू की मिश्रित सब्जी 100 ग्राम सब्जी, नमक स्वादानुसार, हरी मिर्च, मूँगफली के दाने या हरी मट्ठर।
5.	शुक्रवार	चावल-दाल की खिचड़ी	100 ग्राम चावल एवं मिश्रित दाल, सब्जियों का भी मिश्रण करें।
6.	शनिवार	तहरी	100 ग्राम चावल एवं सब्जी (आलू, गोभी, सोयाबीन, हरी मट्ठर अथवा समय-समय पर उपलब्ध सब्जी)

सरकार द्वारा व्यय—

राज्य सरकार प्रतिदिन प्रति छात्र 2.60 अनाज, भोजन मात्रा व सहायिका का वेतन एवं ईंधन के रूप में व्यय कर रही है। म०भो०यो० के अन्तर्गत 102,140 प्राथमिक विद्यालय का शत प्रतिशत है। इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 1,83,76,148 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। भारत सरकार ने 2007–2008 के लिए 13100 करोड़ रुपये का बजट सर्व शिक्षा अभियान पर खर्च के लिए बनाया गया है। जिसमें 8000 करोड़ रुपये म०भो०यो० के लिए खर्च किए जा रहे हैं।

मध्यान्ह भोजन योजना की संचालन एवं अनुश्रवण व्यवस्था—

मध्यान्ह भोजन योजना के सुव्यवस्थित संचालन के लिए विद्यालय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक।

राज्य स्तर तक

1— मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2— सचिव विद्यालय शिक्षा	सदस्य
3— सचिव ग्राम विकास	सदस्य
4— सचिव वित्त विभाग	सदस्य
5— सचिव योजना विभाग	सदस्य
6— सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सदस्य
7— सचिव महिला एवं बाल विकास	सदस्य
8— सचिव नगर विकास	सदस्य
9— शिक्षा निदेशक	सदस्य
10— विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रतिनिधि	सदस्य

जिला स्तर पर

1— जिला अधिकार	सदस्य
2— मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3— डी०आई० ओ० एस०	सदस्य
4— जिला प्रबन्ध अधिकारी	सदस्य
5— जिला आपूर्ति अधिकारी	सदस्य
6— मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
7— सभी उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
8— जिला विकास अधिकारी	सदस्य
9— प्रोजेक्ट निदेशक डी०आर०डी०ए०	सदस्य
10— जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
11— जिला पंचायती राज अधिकारी	सदस्य

12— जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
13— नगर आयुक्त	सदस्य

ब्लॉक स्तर पर

1— एस0डी0एम0	अध्यक्ष
2— ब्लॉक विकास अधिकारी	सदस्य
3— चिकित्सा अधिकारी पी0एच0सी0	सदस्य
4— ए0डी0ओ0 (पंचायत)	सदस्य
5— नायब तहसीलदार	सदस्य
6— आपूर्ति निरीक्षक	सदस्य

ग्राम पंचायत स्तर पर

1— ग्राम प्रधान	अध्यक्ष
2— अभिभावक सदस्य (स्त्री) ग्राम प्रधान द्वारा मनोनीत	सदस्य
3— प्रधानाध्यापक (विद्यालय)	सदस्य
4— अभिभावक सदस्य (पुरुष) ग्राम प्रधान द्वारा मनोनीत	सदस्य

वार्ड स्तर पर

1— वार्ड सभासद	अध्यक्ष
2— अभिभावक सदस्य (स्त्री) सभासद द्वारा मनोनीत	सदस्य

मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम के लिए आवश्यक गुणवत्ता मान-

- **पौष्टिक पका भोजन**— पूरे वर्ष पौष्टिक पका भोजन छात्रों को उपलब्ध कराना होगा। भोजन सारणी बच्चों की पसन्द एवं सन्तुलित पौष्टिकता के आधार पर होगी।
- **पीने योग्य पानी**— प्रत्येक विद्यालय को अपने यहाँ साफ पीने योग्य पानी की व्यवस्था करनी होगी।
- **पर्याप्त रसोई उपकरण एवं बर्तन**— प्रत्येक विद्यालय को अपने यहाँ पर्याप्त रसोई उपकरण एवं बर्तन की व्यवस्था करनी होगी।
- **पर्याप्त मानव शक्ति**— प्रत्येक विद्यालय में म0भो0यो0 कार्यक्रम के संचालन के लिए उपयुक्त प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक रसोईए एवं उसके सहायक की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। सभी रसोइयों एवं उसके सहायकों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
- **रसोई घर एवं स्टोर**— प्रत्येक विद्यालय में एक रसोई तथा अन्न रखने के लिए एक स्टोर रूम होना चाहिए।
- **विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम**— म0भो0यो0 कार्यक्रम को विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम से जुड़ा हुआ होना चाहिए।
- **सामाजिक समता**— सभी भोजन बनाने वाले कर्मचारी महिलाएं होनी चाहिए। दलित वर्ग की महिलाओं को भोजन माता एवं सहायिका के रूप में वरीयता दी जानी चाहिए।

मध्यान्ह भोजन योजना में स्वयं सेवी संगठनों की सहायता के लिए आवश्यक दिशा निर्देश—

1. मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम के लिए उन्हीं स्वयं सेवी संगठनों का चयन किया जाएगा जो कार्यक्रम को चलाने की क्षमता व इच्छा रखते हो तथा स्वयं सेवी संगठनों को विद्यालय प्रबन्ध समिति आदि स्थानीय इकाईयों के साथ कार्य करने की इच्छा होनी चाहिए।
2. स्वयं सेवी संगठन सुनिश्चित करेंगे कि पका हुआ भोजन केवल सरकारी स्थानीय इकाईयों व सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ रहे बालकों के लिए उपलब्ध होगा।
3. स्वयं सेवी संगठन सुनिश्चित करेंगे कि पका हुआ भोजन में 100 ग्राम कैलोरी प्रति छात्र प्रतिदिन के अनुसार होनी चाहिए।

4. प्राथमिक विद्यालयों के बालकों में धर्म, जाति, समुदाय के आधार पर भोजन उपलब्ध करने में भेद नहीं किया जाएगा।
5. सक्षम जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा स्वयं सेवी संगठनों को खाद्यान्न स्थानान्तरण व रखरखाव का खर्च उपलब्ध कराया जाएगा। स्वयं सेवी संगठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित दर पर भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से प्राथमिक विद्यालयों तक खाद्यान्न पहुँचाने के लिए अधिकृत हैं।
6. स्वयं सेवी संगठन एक वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देंगे जिसमें स्थानान्तरण के खर्च और राज्य सरकार से प्राप्त सहायता राशि किसी अधिकृत चार्टड एकारन्टेंट से सत्यापित होगी।
7. स्वयं सेवी संगठन खाद्यान्न के उठाव और उपयोग विद्यालय तथा बालकों की संख्या की मासिक रिपोर्ट सक्षम जिला स्तरीय अधिकारी को समय पर निर्धारित प्रपत्र के द्वारा भेजनी होगी।
8. स्वयं सेवी संगठन प्राप्त प्रोजैक्ट या प्राप्त सहायता के किसी भाग को दूसरे संगठन को हस्तान्तरित नहीं करेंगे।
9. यदि राज्य या केन्द्र सरकार को यह लगे कि दी जाने वाली सहायता का नियत उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं हुआ है तो सहायता को बन्द किया जा सकता है और पूर्व में दी गयी सहायता राशि का वापस लिया जा सकता है।
10. प्रोजैक्ट के लेखों का भली प्रकार रख रखाव किया जाएगा और आवश्कतानुसार पड़ने पर सभी लेखों को अधिकृत चार्टड एकाउण्टेंट से सत्यापित कराकर जमा कराना होगा। ये लेखे राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त अधिकारी के अवलोकन के लिए भी उपलब्ध होंगे।
11. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव का निर्णय अन्तिम व संस्था को मान्य होगा।

समस्या की उत्पत्ति-

वैसे तो प्राथमिक शिक्षा को किसी भी राष्ट्र की नींव समझा जाता है जिसके ऊपर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा निर्भर करती है और बालक को इसी शिक्षा का केन्द्र समझा जाता है जिस राष्ट्र की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था मजबूत होती है वह उतना ही मजबूत होता है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनायें चलायी जा रही हैं लेकिन इतनी सारी योजनाओं के चलने के बाद भी हम छोटे-छोटे बालकों को विभिन्न दुकानों, होटलों, घरों और ढाबों आदि पर कार्य करते देख सकते हैं। अनुसन्धानकर्ता के मन में हमेशा यह प्रश्न उठा करता था आखिर सरकार द्वारा चलायी जा रही इन विभिन्न योजनाओं में से एक मध्यान्ह भोजन योजना की स्वीकार्यता की जाँच के लिए इस समस्या का चयन किया।

समस्या का महत्व-

प्रत्येक देश में प्राथमिक शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा की आधार होती है। यह शिक्षा बढ़ाया गया पहला कदम है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए एवं सभी के लिए शिक्षा के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया। इस अभियान के अन्तर्गत एक ऐसी योजना से सरकार ने परिचय कराया जिससे आकर्षित होकर बच्चे स्कूलों से जुड़ें और कम से कम पॉच वर्षीय प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करें।

इस योजना को मध्यान्ह भोजन योजना के नाम से जाना जाता है। जिसका मुख्य उद्देश्य बालकों के साथ-साथ उनके अभिभावकों को भी आकर्षित करना था यह आशा की जाती है कि अभिभावक अपने बालकों को विद्यालय भेजेंगे इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य गरीबी की वजह से सन्तुलित एवं पौष्टिक आहार न प्राप्त कर सकने वाले बालकों को सन्तुलित एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है।

अध्ययन के उद्देश्य-

1. सरकार द्वारा शुरू की गयी मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना।
2. मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम की स्वीकार्यता जानना।
3. मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम की प्रभावशीलता को नामांकित छात्रों की संख्या के सन्दर्भ में जाँचना।
4. मुरादाबाद जिले में मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम का प्राथमिक शिक्षा में पड़ने वाले गुणात्मक प्रभाव का मूल्यांकन करना।
5. कार्यक्रम को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए दिशा निर्देश सुझाना।

समस्या कथन—

“मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम की स्वीकार्यता तथा मुरादाबाद जिले के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों के नामांकन पर इसके प्रभाव का अध्ययन”।

शब्दों का परिभाषिकरण—

- **स्वीकार्यता—** स्वीकार्यता से तात्पर्य किसी सिद्धान्त अथवा उद्देश्य को अपनाने की आवश्यकता से है।
- **मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम—** यह प्राथमिक शिक्षा के लिए छात्रों को सन्तुलित आहार देने के लिए चलाया जाने वाला एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है।
- **प्रभाव—** प्रभाव से तात्पर्य मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम का प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश स्तर पर छात्रों की संख्या का घटने अथवा बढ़ने के असर से है।
- **प्राथमिक शिक्षा—** प्राथमिक शिक्षा का सम्बन्ध उस आधारभूत शिक्षा से है जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक दी जाती है।
- **नामांकन—** नामांकन से तात्पर्य प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेने वाले छात्र/छात्राओं की संख्या से है।

अध्ययन की अवधारणायें—

1. मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम ने प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के नामांकन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम ने प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि की है।
3. मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम बालकों को पौष्टिक भोजन एवं सन्तुलित आहार प्रदान करता है जिससे उनके ज्ञान का विकास होता है।
4. मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम ने सामाजिक भाईचारे एवं वर्ग, जाति तथा रंग भेद को दूर किया है।

शोध अध्ययन का सीमांकन—

समय, साधन आदि को ध्यान में रखते हुए मध्यान्ह भोजन योजना की स्वीकार्यता एवं वर्तमान स्थिति केवल मुरादाबाद जिले के वनियाखेडा ब्लॉक तक ही सीमित की गया है।

निष्कर्ष एवं सुझाव —

ऑकड़ों के विश्लेषण एवं व्यवस्था के आधार पर इस अध्ययन से सम्बन्धी निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं— मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम सभी विद्यालयों में नियमित रूप से चल रहा है। सभी विद्यालय में दो से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। अधिकतर विद्यालयों में पेयजल की उचित व्यवस्था है, कुछ ही ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पेयजल की व्यवस्था नहीं हैं। अधिकतर विद्यालयों में छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग—अलग शौचालयों की व्यवस्था है केवल कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पेयजल की व्यवस्था नहीं हैं। अभिभावक समुदाय का एक बड़ा वर्ग विद्यालय के कार्यों में रुचि लेता है लेकिन कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं जो विद्यालय के कार्यों में रुचि नहीं लेते हैं। जिला गाजियाबाद के हापुड़ ब्लॉक के सभी विद्यालयों में भोजन बनाने की व्यवस्था एन०जी०ओ० द्वारा सम्भाली जा रही है। सभी स्कूलों में बालकों को भरपेट भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा है। मुरादाबाद ब्लॉक के सभी विद्यालयों में भोजन की गुणवत्ता की जांच की जाती है। एन०जी०ओ० लगभग सभी विद्यालयों में भोजन समय पर उपलब्ध करा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत दिया जाने वाला भोजन सभी बालकों को पसन्द नहीं आ रहा है। अध्यापकों का एक काफी बड़ा वर्ग यह मानता है कि भोजन मीनू के अनुसार नहीं आता है। अधिकतर विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम से शैक्षिक कार्य प्रभावित हुआ है। इस योजना के कारण ड्राय आऊट की समस्या पर काफी हद तक नियन्त्रण हुआ है। इस योजना के आरम्भ होने से अध्यापकों पर अतिरिक्त भार पड़ा है। मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत अध्यापकों को भोजन व्यवस्था तथा वितरण में धार्मिक/जातिगत समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। मध्यान्ह भोजन योजना में उपलब्ध भोजन सामग्री पूर्णरूप से सन्तुलित एवं पौष्टिकता से परिपूर्ण नहीं होती है। इस योजना के अन्तर्गत निरीक्षण अधिकारीगण विद्यालयों में समय—समय पर निरीक्षण करते हैं। इस योजना से प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में गुणात्मक वृद्धि हुई है। अधिकतर विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना के सभी उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है। मध्यान्ह भोजन योजना गरीब बालकों को विद्यालय की ओर आकर्षित करने में अहम् भूमिका निभा रही है। लगभग सभी अध्यापक पक्ते हुए भोजन के स्थान पर सूखा भोजन उपलब्ध कराये जाने के पक्ष में हैं। यह योजना शिक्षा को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हो रही है। इसलिए इसको भविष्य में चलाया जाना चाहिए। इस योजना के चलाये जाने से बालकों के नामांकन में वृद्धि हो रही है। अध्यापक वर्ग का एक बड़ा हिस्सा यह मानता है कि यह योजना सर्वशिक्षा अभियान में अहम् भूमिका निभा रही है। हापुड़

ब्लॉक के अधिकतर प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों की मासिक आय 3000 रुपये से कम है। अधिकतर अभिभावक अपने बालकों को नियमित रूप से विद्यालय भेजते हैं। अधिकतर अभिभावक अपने बालकों से घर का कार्य नहीं करवाते हैं। हायुड ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बालकों के अधिकतर अभिभावक इस योजना के बारे में जानते हैं। अधिकतर अभिभावक यह मानते हैं कि उनके बालकों को विद्यालय में भरपेट भोजन नहीं मिलता है। सभी अभिभावक यह मत नहीं रखते हैं कि उनके बालकों को मिलने वाला आहार पौष्टिक होता है। अधिकतर अभिभावक केवल भोजन के लिए अपने बालकों को विद्यालय नहीं भेजते हैं। 45 प्रतिशत अभिभावकों को लगता है कि विद्यालय की भोजन प्रक्रिया में उनके बालकों से कार्य करवाया जाता है जबकि 55 प्रतिशत इस बात से इंकार करते हैं। अधिकतर अभिभावक मानते हैं कि यह योजना भविष्य में चलाई जानी चाहिए। लगभग सभी विद्यालयों में बालकों को निःशुल्क पुस्तकें वितरित की जाती हैं। अधिकतर अभिभावकों को लगता है कि भोजन व्यवस्था से विद्यालय के शैक्षिक कार्य में कोई बाधा नहीं आती है। अधिकतर अभिभावक अपने बालकों को दूसरे धर्म/जाति के बालकों के साथ भोजन करने से मना नहीं करते तथा अपने बालकों में इस तरह की गलत धारणा बनने से रोकते हैं। 57.40 प्रतिशत अभिभावक यह मानते हैं कि भोजन का निर्माण स्वच्छता से होता है। लगभग 55 प्रतिशत अभिभावक यह स्वीकार करते हैं कि इस योजना से उनकी आर्थिक परेशानी का हल हुआ है जबकि 45 प्रतिशत इसे आर्थिक परेशानी का हल नहीं मानते हैं। 84.25 प्रतिशत अभिभावकों का मत है कि शिक्षक अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह सही ढंग से करते हैं। लगभग 81 प्रतिशत छात्र/छात्राओं का मत है कि उन्हें विद्यालय में रोज भोजन मिलता है। सभी छात्र/छात्राओं का मत है कि उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता है। अधिकतर छात्र/छात्राओं के मत के अनुसार विद्यालय में मिलने वाला भोजन स्वादिष्ट नहीं होता है। कुछ छात्र/छात्राओं से विद्यालय की भोजन वितरण प्रक्रिया में काम करवाया जाता है। छात्र/छात्राओं को भोजन करने के बाद पढ़ाई करना अच्छा लगता है। सभी विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को दूसरे धर्म/जाति के बालकों के साथ भोजन करने में कोई परेशानी नहीं है और सभी बिना किसी भेदभाव के साथ मिलकर भोजन करते हैं। 92.37 प्रतिशत छात्र/छात्राओं के अभिभावक उन्हें दूसरे जाति/धर्म के बालकों के साथ भोजन करने से मना नहीं करते हैं। अधिकतर छात्र/छात्राओं सूखे भोजन देने के पक्ष में हैं। सभी छात्र/छात्राओं भोजन न मिलने पर भी विद्यालय जाना पसन्द करेंगे।

व्यक्तिगत अनुभव से प्राप्त निष्कर्ष

अनुसन्धानकर्ता ने स्वयं विद्यालयों में जाकर व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा कुछ और निष्कर्षों को चिन्हित किया है— एन०जी०ओ० द्वारा यह कार्य सम्मानने से विद्यालय को राहत मिली है। अब अध्यापकों को अपना अमूल्य समय पढ़ाने के लिए देने में कोई समस्या नहीं है। विद्यालय के द्वारा स्वयं भोजन निर्माण प्रक्रिया से बेहतर कार्य एन०जी०ओ० द्वारा किया जा रहा है। विद्यालय में भोजन बनने से बालकों की पढ़ाई में बाधा आती है क्योंकि बालकों का ध्यान भोजन पर ही रहता है। कुछ विद्यालयों में पेयजल की सही व्यवस्था न होना अभी भी एक समस्या है। प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को भोजन खिलाने वाले बर्तनों का अभाव है जिसके कारण बालक अपने स्कूली बस्तों में अपने घरों से प्लेट, कटोरी एवं ग्लास लेकर आते हैं। कुछ विद्यालयों में शिक्षक जातिगत भेदभाव की विचारधारा से ग्रसित हैं। भोजन वितरण में कुछ विद्यालयों के अन्दर बालकों से काम लिया जाता है जो कि गलत है। मध्यावकाश का निश्चित समय इस कार्यक्रम के लिए सही तरह से उपयोग नहीं होता है। कुछ छात्र/छात्राओं के बालक भोजन में रुचि रखते हैं और भोजन करते ही विद्यालय से घर भाग जाते हैं।

अध्ययन के सुझाव-

निष्कर्षों के आधार पर इस अध्ययन के निम्नलिखित सुझाव हैं जो मध्यान्ह भोजन योजना तथा शिक्षा को प्रभावी बनाने में सहायता कर सकते हैं— प्रत्येक विद्यार्थी 2.60 पैसे से बढ़कर 5 रुपये प्रतिदिन प्राप्त होने चाहिए ताकि सन्तुलित भोजन की व्यवस्था की जा सके। विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक एवं अभिभावक बालकों का रुझान पढ़ाई में पैदा कर सकें। भारत सरकार की ओर से प्रत्येक राज्य को मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम की सार्वभौमिकता के सख्त निर्देश दिए जाने चाहिए। सरकार को प्रत्येक विद्यालय में मध्यान्ह भोजन योजना हेतु अतिरिक्त पद का सृजन करना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में योग शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। मध्यान्ह भोजन योजना हेतु खाद्यान्न को नमी रहित सुरक्षित जगह पर रखा जाना चाहिए। खाद्यान्न को हवा बन्द कर्नेसरों में रखना चाहिए। मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत दलिए का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। चावल से बने पानी को दाल में डालकर दाल की गुणवत्ता को बढ़ाया जाना चाहिए। भोजन को ढककर पकाना चाहिए। भोजन को ज्यादा नहीं पकाना चाहिए। एक बार प्रयोग किए गए तेल को पुनः भोजन पकाने में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

गजर, मूली आदि की हरी पत्तियों सहित सब्जी बननी चाहिए। एन0जी0ओ0 की भोजन व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है। निरीक्षक अधिकारी को नियमित रूप से विद्यालयों में निरीक्षण करना चाहिए।

भावी अनुसन्धान के लिए सुझाव-

समय के अभाव के कारण इस कार्यक्रम के कुछ बिन्दुओं पर ही अध्ययन हो पाया है। इस कार्यक्रम पर और भी अध्ययन हो सकता है। अतः भविष्य में इस कार्यक्रम पर होने वाले अध्ययन के लिए कुछ सुझाव निम्न हैं—

1. अमरोहा जिले के सभी ब्लॉकों के सभी विद्यालयों को न्यादर्श के रूप में लिया जा सकता है।
2. मुरादाबाद ब्लॉक के सभी प्राथमिक विद्यालयों को न्यादर्श के रूप में लिया जा सकता है।
3. मुरादाबाद ब्लॉक के सभी प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को न्यादर्श के रूप में लिया जा सकता है।
4. बालकों की संख्या के आधार पर शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों की तुलना की जा सकती है।
5. मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम लागू होने के बाद छात्रों की शारीरिक उपलब्धि का मूल्यांकन कर सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. शर्मा, आर0ए0, : शिक्षा अनुसन्धान, सूर्या पब्लिकेशन, मेरठ।
2. भाटिया, के0के0 : शिक्षा के सिद्धान्त, कल्याणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. कौल, लोकेश : शैक्षिक अनुसन्धान की कार्य प्रणाली, विकास पब्लिशिंग हाऊस प्रा0लि0, नई दिल्ली।
4. बुच, एम0वी0 : ए टू सिक्स्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजूकेशन, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।
5. जैन, साह, (2005) : मध्य प्रदेश में मध्यान्ह भोजन योजना— (समाज प्रगति सहयोग)।
6. माथुर, बिना (2005) : राजस्थान में मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम की स्थिति का विश्लेषण (राजस्थान विश्वविद्यालय एवं यूनिसेफ)।
7. नाइक, राम (2007) : कर्नाटक के अक्षर दसोहा योजना पर प्रतिवेदन — (धारवाड विश्वविद्यालय, कर्नाटक)।
8. N. C. E. R. T. : www.ncert.com
9. Mid Day Meal : www.middaymeal.com
10. Ele. Education : www.elementaryeducation.com